25.7.22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य कार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 25.8.22 को पेश हो।

25/8/22 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/9/22 को पेश हो।

7/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। मूलवाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किये जाने से मूलवाद खारिज किया गया है अतः मूलवाद खारिज होने से इस प्रार्थना पत्र का सारहीन हो जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
केनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrugh Singh Gurjar
Date: 2023.06.28 16:23
Reason: SelfAttested